राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( )/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/66 दिनांक : 3/2/16

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः– आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य शिविरों में गम्भीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को इलाज के लिए उच्च चिकित्सा संस्थान हेतु रैफर किये गये मरीजों की मॉनिटरिंग के संबंध में।

संदर्भः– निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ ( )/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/49 दिनांक 8.12.2015 के संदर्भ में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 आरोग्य राजस्थान के अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायतवार 9894 स्वास्थ्य शिविर 15.12.2015 से 31.3.2016 तक लगाए जायेगें। स्वास्थ्य शिविरों में गम्भीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के इलाज हेतु संदर्भित पत्र द्वारा आरोग्या राजस्थान स्वास्थ्य शिविरों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुसार :

1. प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम, आशा द्वारा भरे गये प्रपत्रों के अनुसार गम्भीर बीमारियों से पीडित व्यक्तियों का **संलग्न प्रपत्र के अनुसार सूची तैयार करेगी** तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क कर स्वास्थ्य शिविर अथवा नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर उपस्थित होकर स्वास्थ्य की जॉच करवाने के लिए सूचित करें। तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत संभव इलाज की पूर्ण जानकारी दी जावे। एएनएम द्वारा तैयार की गई उक्त सूची अपने संबंधित क्षेत्र की पीएचसी/सीएचसी को प्रेषित करेगी तथा संबंधित सीएचसी/पीएचसी पर उक्त सूचना ग्रामपंचायतवार इकजाई कर स्वास्थ्य शिविर में प्रेषित की जावे। इससे बीमार व्यक्तियों की ग्राम पंचायतवार संभावित सूची तैयार हो जायेगी।
2. स्वास्थ्य शिविरों मे डॉक्टर द्वारा पहचान की गई बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकतानुसार उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों अथवा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिन्हित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य शिविर के दौरान रोगी हैल्थ जॉच कार्ड (Patient Health Eximination Card) भरकर रैफर किया जायेगा।

माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देशों की अनुपालना में ग्राम पंचायत स्तर पर लगने वाले स्वास्थ्य शिविरों में गम्भीर बीमारियों के इलाज व जॉच हेतु उच्च राजकीय चिकित्सा अस्पतालों यथा जिला अस्पताल/मेडिकल कालेज अस्पताल/भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिन्हित निजी अस्पतालों हेतु जिन व्यक्तियों को रैफर किया गया है उनमें से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरबीएसवाई) के लाभार्थियों की जिले में शिविरवार संलग्न प्रपत्रानुसार सूचना तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को ई–मेल आई डी arogya.rajasthan@gmail.com पर दिनांक 10.2.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि गम्भीर बीमारियों से ग्रसित एनएफएसए/आरबीएसवाई लाभार्थी व्यक्तियों जिनको शिविरों में उच्च चिकित्सा संस्थान हेतु रैफर किया गया है उनका भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बीएसबीवाई) के तहत इलाज करवाया गया है अथवा नहीं यदि नहीं करवाया गया है तो संबंधित क्षेत्र की एएनएम उस व्यक्ति को योजना के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सरकारी/निजी चिकित्सालय में इलाज हेतु बताया जाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार की बीएसबीवाई अभिनव योजना के तहत अधिकतम लोग लाभान्वित हो सकें। भविष्य में आपके जिले में लगने वाले स्वास्थ्य शिविरों में इसकी गहन मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चिज करें।

विशिष्ट शासन सचिव, (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य), अतिरिक्त
मिशन निदेशक, (एनएचएम) व निदेशक (आई.ई.सी.)।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक, आरसीएच।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचनाऐं तुरन्त प्रभाव से अधोहस्ताक्षरकर्ता को ई–मेल आई डी arogya.rajasthan@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. राज्य नोडल अधिकारी–आरोग्य राजस्थान।/सर्वर रूम–ईमेल हेतु।

विशिष्ट शासन सचिव, (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य), अतिरिक्त
मिशन निदेशक, (एनएचएम) व निदेशक (आई.ई.सी.)।

उच्च चिकित्सा संस्थानों हेतु रैफर किये गये व्यक्तियों की व्यक्तिगत सूचना

जिला..............................

कम संख्या	उच्च चिकित्सा संस्थानों हेतु रैफर किये गये व्यक्ति का नाम	पिता / पति का नाम	पुरुष / महिला	ब्लाक	पीएचसी / सीएचसी	सब सेन्टर	शिविर का स्थान	शिविर की दिनांक	स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र नम्बर	एनएफएसए के लाभार्थी हाँ / नहीं	आरएसबीवाई के लाभार्थी हाँ / नहीं	जिस संस्थान के लिए रैफर किया गया उस संस्थान का नाम	संस्थान का प्रकार सरकारी / निजी